

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
पो.बा.नं. ८१, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपर - ४४० ००१

स्थापना आदेश संख्या 52/2015
दिनांक 02 नवम्बर 2015

भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत तथा पेंशन (कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण) नई दिल्ली के दिनांक 19.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ) के अंतर्गत जारी वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 29.09.2009 के प.फा.सं.26017/76/2009 एडी.II ए तथा दिनांक 29.09.2009 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 26017/47/2010 एडी.II ए दिनांक 11.06.2010 के अनुसरण में निम्नलिखित हवलदार तथा हेड हवलदार, को एतद्वारा संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन योजना के अंतर्गत उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से तथा ग्रेड पे के अनुसार वित्तीय प्रोन्नति दी जाती है ।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	सरकारी सेवा में आने की तारीख	वह तिथि तथा ग्रेड पे जिससे एम् ए सी पी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति दी जानी चाहिए					
			प्रथम एम्एसीपी		द्वितीय एम्एसीपी		तृतीय एम्एसीपी	
			प्रभावी तिथि	ग्रेड पे	प्रभावी तिथि	ग्रेड पे	प्रभावी तिथि	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ए.बी.टेकाडे हेड हवालदार	13.05.1985	01.09.2008	1900/-	--	--	13.05.2015	2400
2	एस. एन. राठोड हेड हवालदार	17.08.1994	--	--	17.08.2014	2000/-	--	--
3	पी. आर. जाधव हेड हवालदार	27.10.1995	--	--	27.10.2015	2000/-	--	--
4	ए.एस. नन्नावरे हेड हवालदार	08.07.1994	--	--	08.07.2014	2000/-	--	--
5	एल.डी. लांडे हेड हवालदार	08.07.1994	--	--	08.07.2014	2000/-	--	--
6	व्ही.आर.कोसरे हेड हवालदार	08.07.1994	--	--	08.07.2014	2000/-	--	--
7	एम.डी. नागोसे हेड हवालदार	19.09.1994	--	--	19.09.2014	2000/-	--	--
8	सी.बी. सोनी हेड हवालदार	13.05.1985	--	--	--	--	13.05.2015	2400/-
9	के. आर. गंडाम हेड हवालदार	01.02.1984	--	--	--	--	01.02.2014	2400/-
10	जी.डी मिश्रा हेड हवालदार	13.05.1985	--	--	--	--	13.05.2015	2400/-
11	सयद मेहमुद हेड हवालदार	28.06.1985	--	--	--	--	28.06.2015	2400/-

उपरोक्त अधिकारियों को दी गई वित्तीय प्रोन्नति अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी ।

वित्तीय प्रोन्नति के परिणाम स्वरूप लाभान्वित व्यक्ति का पदनाम नहीं बदलेगा अर्थात कि यह ग्रेड उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुए दिया जा रहा है तथा उक्त वित्तीय प्रोन्नति का उच्चतर पद से कोई संबंध नहीं होगा ।

एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत पदाधिकारियों की वित्तीय प्रोन्नति पूर्णरूप से व्यक्तिगत होगी। तथा इसका उनकी परस्पर वरिष्ठता सूची में स्थान से कोई संबंध नहीं होगा तथा इसे संबंधित पदाधिकारियों की वास्तविक पदोन्नति नहीं माना जाएगा। तथा इसलिए वरिष्ठ कर्मचारी को इस आधार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रोन्नति नहीं मिलेगी कि उनसे कनिष्ठ कर्मचारी एमएसीपी के अंतर्गत उनसे उच्चतम वेतनमान पा रहा है। वरिष्ठ कनिष्ठ की यह संकल्पना एमएसीपी स्कीम की कल्पना से बिल्कूल भिन्न है।

एमएसीपी के अंतर्गत प्रदत्त उच्चतर ग्रेड पे इस शर्त के अधिन रहेगा कि उपरोक्त पदाधिकारियों ने उक्त वित्तीय लाभ स्वीकार करते हुए तत्संबंधी समय पर रिक्त होने पर उनकी पदोन्नति के लिए बिना किसी शर्त के अपनी मंजूरी दे दी है।

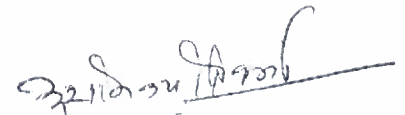
नियमित पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का लाभ, स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति के लिए भी मिलेगा। अतः ऐसी प्रोन्नतियों के पहले उसे मिल रहे ग्रेड पे तथा पे बॅंड में कुल वेतन के 3% की उसकी वेतन में वृद्धि की जाएगी। तथापि एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिया गया ग्रेड पे उनकी निरंतर पदोन्नति के समय यदि समान ग्रेड पे में है तो आगे उनके वेतन का फिक्सेशन नहीं किया जाएगा। फिर भी उसके वास्तविक पदोन्नति के समय यदि ऐसा होता है जिस पद पर पदोन्नति हो रही है उसका ग्रेड पे एमएसीपी के अंतर्गत मिल रहे ग्रेड पे से अधिक है, तो उनका पे फिर से फिक्सेशन नहीं किया जाएगा लेकिन ग्रेड पे का अंतर ही प्रदान किया जाएगा।

तद्वैव आधार पर एमएसीपी के अधीन उनकी वित्तीय प्रोन्नति पर, जिसमें उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो भी विशिष्ट व्यवस्था के रूप में, उनके वेतन का पूर्णनिर्धारण एफ आर 22(1)(a)(1) के अधीन उनकी पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख या अगली वेतनवृद्धि की तारीख यथा 1 जुलाई से उच्च पद/ग्रेड पे में उनका वित्त वेतन नियत किया जाएगा।

वेतन तथा वेतन वृद्धि की तिथि, व्यय विभाग के दिनांक 13.09.2008 के का ज्ञा.सं. 1/1/2008 आय के स्पष्टीकरण नं.2 के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

पुराने मामलों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, एमएसीपी योजना लागू करते हुए पुरानी एसीपी स्कीम (अगस्त 1999) की तथा एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोन्नति दिये जाने के कारण, समान कैंडर के पे स्केल में अंतर होने पर इसे विसंगति नहीं समझा जाएगा।

उच्चतर ग्रेड स्केल में वेतन के फिक्सेशन के लिए वेतन वृद्धि की तारीख (1 जुलाई) विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रयोज्य) का चूनाव किया जा सकता है। एक बार दिया गया ऐसा विकल्प अंतिम माना जायेगा।


(ए.जे.वर्मा)

अपर आयुक्त
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
नागपुर - I

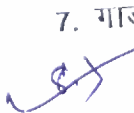
नागपुर, दिनांक 02.11.2015

फा.सं. II(7)01/2015/Et-I

2982

प्रतिप्रेषित :-

1. मुख्य आयुक्त, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रभाग-भंडारा/चंद्रपूर/अमरावती।
3. मुख्य लेखा अधिकारी/सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी स्था. 11/अधीक्षक(सतर्कता) सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-1/नागपुर-11/वर्धा।
4. श्रीमती/श्री..... सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क.....
5. भुगतान एवं लेखा अधिकारी सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर।
6. सचिव, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर समुह "ग" मंत्रालयीन अधिकारी संघटना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर।
7. गार्ड फाईल।

 संगणक शाखा

(ए.जे.वर्मा)
अपर आयुक्त
सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
नागपुर - I